

अध्याय ३

वित्तीय रिपोर्टिंग

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालित है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों सहित नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय-प्रबन्धन के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपभोग प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत न किया जाना

3.1.1 राज्य सरकार के नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 का प्रस्तर 369-एच) में वर्णित है कि जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण जारी किये गये सहायता अनुदानों का उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग सुनिश्चित किया जाना कठिन होता है। 31 मार्च 2016 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति सारणी 3.1 में दी गई है।

सारणी 3.1: अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की स्थिति

अवधि	अप्राप्त उपभोग प्रमाण-पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	361489	1,00,539.80
2014-15	18440	19,914.15
2015-16	19630	25,847.63
योग	399559	1,46,301.58

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 के अंत तक अत्यधिक संख्या में पर्याप्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र लम्बित थे।

उपभोग प्रमाण-पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के मुख्य प्रकरण समाज कल्याण विभाग (49349 प्रकरण - ₹ 22,104 करोड़), प्राथमिक शिक्षा विभाग (45107 प्रकरण - ₹ 19,818 करोड़), पंचायती राज (10937 प्रकरण - ₹ 18,287 करोड़), ऊर्जा विभाग (186 प्रकरण - ₹ 18,065 करोड़) एवं समाज कल्याण तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग (29767 प्रकरण - ₹ 14,181 करोड़) से सम्बन्धित थे। इतने अधिक लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की धनराशि, कुल लम्बित उपभोग प्रमाण पत्रों की कुल धनराशि के 63 प्रतिशत थे।

अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान कृषि एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (सितम्बर 2016) कि उपभोग प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उपभोग प्रमाणपत्रों को निर्धारित अवधि में प्राप्त करके कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3.2 विस्तृत आकस्मिक बिल

उत्तर प्रदेश ट्रेजरी मैनुअल के प्रस्तर 62 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को डेबिट करते हुए संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) देयक द्वारा धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के उपभोग के पश्चात् विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयक समर्थित अभिलेखों सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दीर्घकाल तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2016 को ₹ 301.13 करोड़ की धनराशि के 5113 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में लम्बित थे। वर्षावार विवरण सारणी 3.2 में दी गई है।

सारणी 3.2: असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयक

अवधि	अनिस्तारित डी.सी. बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2013-14 तक	4453	64.53
2014-15	319	131.81
2015-16	341	104.79
योग	5113	301.13

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015-16)

वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 104.79 करोड़ धनराशि के आहरित 341 एओसी० बिलों के सापेक्ष 46 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 24.94 करोड़ थी, मार्च 2016 में आहरित किये गये। इनमें 13 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 9.80 करोड़ थी, सम्मिलित थे। ये देयक दिनांक 29 और 31 मार्च 2016 के मध्य आहरित किये गये। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना, प्राथमिक रूप से बजट का पूर्ण उपभोग करने का उद्देश्य और बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय परिचालन एवं व्यवसाय में दक्षता सम्बन्धी कार्यकारी परिणाम दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखे बनाये जाते हैं। इन लेखों को लेखा-बन्दी के माह से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2016 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने प्रोफॉर्मा लेखे मार्च 2016 तक तैयार नहीं किये थे। विभागवार लेखों के बकाये का विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।

स्टेट फार्मसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी निवेश के) द्वारा वर्ष 1991-92 से वर्ष 2015-16 तक अपने लेखे तैयार नहीं किये गये थे। राज्य पशुधन सह कृषि फार्म, जिसमें ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2011-12 से

2015–16 की अवधि के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे। इसी प्रकार, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें ₹ 2,617.93 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2012–13 से 2015–16 की अवधि के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका की जांच से परे थी।

3.4 लम्बित प्रकरणों की स्थिरीटिंग

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.), उ.प्र., इलाहाबाद को अविलम्ब प्रेषित किया जाना चाहिए।

वर्ष 2015–16 की अवधि तक, इस प्रकार के 135 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे, जिनमें ₹ 8.83 करोड़ (₹ 882.57 लाख) की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों का विवरण एवं उनका अवधिवार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण भी **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को सारणी 3.3 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.3: लम्बित प्रकरणों की स्थिरीटिंग

अवधिवार लम्बित प्रकरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि (₹लाख में)	प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की प्रकृति	सम्मिलित धनराशि (₹लाख में)
0 – 5	8	66.85	चोरी	63	40.99
5 – 10	17	308.07			
10 – 15	18	44.17	दुर्विनियोग	08	58.73
15 – 20	17	63.57			
20 – 25	32	16.06	हानि	23	171.27
25 और इससे अधिक	43	383.85	गबन	41	611.58
योग	135	882.57	योग	135	882.57

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 884.60 लाख के 139 प्रकरणों (31 मार्च 2015 तक) में से ₹ 2.03 लाख के चार प्रकरण वर्ष 2015–16 में निस्तारित किये गये/बहुत खाते में डाल दिये गये थे (**परिशिष्ट 3.4**) एवं शेष 135 प्रकरण, जिसमें ₹ 882.57 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2016 तक **सारणी 3.4** में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित थे।

सारणी 3.4: लम्बित प्रकरणों के कारण

विलम्ब/अवशेष प्रकरणों का कारण		प्रकरणों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
क	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ख	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
ग	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	1	4.14
घ	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	9	6.40
ड	माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
योग	135	882.57	

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

3.5 राज्य सरकार द्वारा बजट में नये उपशीर्ष व विस्तृत शीर्षों का खोला जाना

नये उपशीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष जो किसी योजना/उपयोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा खोले जाते हैं, उन्हें खोलने के पूर्व विधितः राज्य के महालेखाकार से इस सम्बन्ध में सलाह लेना चाहिए, परन्तु राज्य सरकार ने महालेखाकार की सहमति लिए बिना ही अपने बजट में ऐसे नये शीर्षों को खोला है। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा यह कहा गया (जून 2016) कि भविष्य में बजट में ऐसे नए उपशीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष खोलने पर उसकी सूची महालेखाकार के पास अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी।

3.6 लघु लेखा शीर्ष-‘800’ का परिचालन

लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियाँ/अन्य व्यय का केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब समुचित लघुशीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

यद्यपि, वर्ष 2015–16 के दौरान लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय के अन्तर्गत, सम्बन्धित विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूँजीगत) के अन्तर्गत, ₹ 43,328.60 करोड़ के व्यय अभिलेखित किये गये, जो राजस्व एवं पूँजीगत शीर्षों के समस्त व्यय ₹ 2,77,158.67 करोड़ का लगभग 15.63 प्रतिशत थे। इसी प्रकार, विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष में ₹ 37,594.34 करोड़ लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 2,27,075.94 करोड़, का लगभग 16.56 प्रतिशत था। ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के महत्वपूर्ण भाग (मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियों/व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण परिशिष्ट 3.6 एवं 3.7 में दिया गया है एवं सारणी 3.5 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 3.5: लघु लेखा शीर्ष-800 के अन्तर्गत ‘अन्य प्राप्तियाँ’ एवं ‘अन्य व्यय’ का दर्शाया जाना

विवरण	प्राप्तियाँ		व्यय	
	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष	धनराशि (₹ करोड़ में)	लेखाशीर्ष
100 प्रतिशत एवं अधिक	1,432.53	0217, 0801, 0023, 0506, 0852, 1456, 0810, 1053, 0220, 0415, 0875, 0215, 0575, 0047	22,986.82	2801, 2040, 5053, 2705, 4859, 2407, 2885, 4853, 5425, 2041, 4047
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	30,881.90	0235, 0406, 0851, 0075, 0425, 0230, 0071, 0029, 1055, 0211, 0056, 1452, 1054, 1601	1,346.70	3475, 4070
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	871.49	0403, 0401, 0059, 0700, 0853, 0515	2,208.81	4575, 4235, 2405, 2575, 3452, 4401, 4202, 4217
योग	33,185.92		26,542.33	

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अन्तर्गत प्राप्तियां/व्यय जो लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2015–16 में उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (जून 2016) कि लघु शीर्ष 800—अन्य प्राप्तियां/व्यय का उपयोग बजट बनाते समय उन मामलों में किया जाता है जहाँ योजना से सम्बन्धित प्राप्तियां/व्यय के उपबन्धों के लिए विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, राज्य सरकार कई वर्षों से प्राप्तियां एवं व्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को बहुप्रयोज्य लघुशीर्ष 800 के तहत पुस्तांकित करती रही है।

3.7 उपकर का अन्तिम उपयोग

विशिष्ट कार्यों पर होने वाले व्ययों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार उपकर लगाती है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये श्रम उपकर की नमूना जाँच यह देखने के लिए की गई कि निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिये यह एकत्र की गयी थी।

3.7.1 श्रम उपकर का अन्तिम उपयोग

भारत सरकार भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 27) और भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 28), असंगठित क्षेत्र के भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के सेवा शर्तों, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को विनियमित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को उपकर का लाभ देने के लिए अधिनियमित करती है। भारत सरकार के अधिनियम के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 बनाया।

अधिनियम (1996 का अधिनियम 27) के नियम 1 (4) के अनुसार प्रत्येक अधिष्ठान, जो किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन 10 या अधिक निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो या ऐसे निजी आवासीय भवन स्वामी, जिसके निर्माण की लागत ₹ 10 लाख या उससे अधिक हो, पर लागू होगा। यह परिकल्पित है कि उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत आने वाले सभी अधिष्ठानों से कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर की कटौती की जायेगी।

सन्निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिये योजना को तैयार एवं लागू किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) का गठन (नवम्बर 2009) किया गया। एकत्र किये गये उपकर का उपयोग, लेखे का रख-रखाव एवं बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी बी.ओ.सी.डब्ल्यू. की थी।

3.7.2 श्रम उपकर आरोपित एवं एकत्र करने सम्बन्धी प्रावधान

उपकर अधिनियम के धारा 3 के अनुसार एक उपकर लगाया जायेगा जो निर्माण लागत के एक प्रतिशत से कम न हो। इसके अतिरिक्त, ₹ 50 का पंजीकरण शुल्क तथा ₹ 50 वार्षिक सदस्यता शुल्क उप श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों से लिया जाना था एवं समस्त एकत्रित धनराशि को उप श्रमायुक्त द्वारा बी.ओ.सी.डब्ल्यू. को प्रेषित किया जाना था।

3.7.3 कल्याण बोर्ड के कार्य

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 के अनुसार, बोर्ड का मुख्य कार्य लाभार्थियों को दुर्घटना पेंशन भुगतान, ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृतियों, सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु सहायता, महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ के भुगतान में सहायता प्रदान करना है।

3.7.4 वित्तीय स्थिति

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 27 के अनुसार, बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव एवं बी.ओ.सी.डब्ल्यू. के लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि बोर्ड ने आरम्भ से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया था। तथापि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार 2011–16 की अवधि के दौरान उपकर की वर्षावार प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण **सारणी 3.6** में दिया गया है।

सारणी 3.6 पंजीकरण शुल्क, उपकर एवं उपयोग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं०	वर्ष	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्तियाँ			कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अन्तिम शेष
			पंजीकरण शुल्क	श्रम उपकर	जमा धनराशि पर ब्याज			
1	2011-12	104.53	1.33	266.63	11.71	384.20	2.29	381.91
2	2012-13	381.91	13.87	311.79	27.43	735.00	4.89	730.11
3	2013-14	730.11	17.84	458.46	49.58	1,255.99	98.12	1,157.87
4	2014-15	1,157.87	28.59	500.44	72.87	1,759.77	127.63	1,632.14
5	2015-16	1,632.14	14.55	686.81	128.39	2,461.89	202.41	2,259.48
योग			76.18	2,224.13	289.98		435.34	

(स्रोत: सचिव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

सारणी में दिये गये विवरणों के आधार पर निम्नांकित टिप्पणियाँ दर्शाया जाना उचित है:

- बोर्ड द्वारा आरम्भ से ही अपने लेखे तैयार नहीं किये गये हैं। इसलिए आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- मार्च 2016 को कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 2,259.48 करोड़ (**परिशेष्ट 3.8**) सावधि जमा एवं बचत बैंक खाते में रखी गयी है। बोर्ड द्वारा उपलब्ध धनराशि के निवेश एवं ब्याज प्राप्ति हेतु प्रतियोगी दर पद्धति नहीं अपनायी गयी।
- प्राप्त की गई निधियों से सृजित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण स्थाई परिसम्पत्तियों के रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया है। स्थाई परिसम्पत्ति रजिस्टर एवं डेड स्टॉक रजिस्टर के अभाव में परिसम्पत्तियों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

3.7.5 उपकर का उपयोग

उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड की स्थापना के समय योजनाओं के रूप में 11 गतिविधियों (फरवरी 2009) को अधिसूचित किया था, जिसमें मातृत्व हितलाभ, पेंशन, आवास निर्माण एवं क्रय हेतु अग्रिम, अक्षमता पेंशन, अन्त्येष्टि सहायता, मृत्यु हितलाभ, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता, लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता तथा परिवार पेंशन सम्मिलित है।

बोर्ड द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के स्तर पर 20 योजनाओं का चयन किया गया था एवं योजनाओं के प्रचार के लिए बाद में प्रचार-प्रसार योजना के रूप में एक अतिरिक्त योजना शुरू की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि कुल चयनित 20 योजनाओं में से दो योजनाओं को रद्द कर दिया गया (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015), एक योजना को बन्द कर दिया गया (फरवरी 2016), एक योजना को स्थगित कर दिया गया (फरवरी 2014) एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने के कारण एक योजना अब तक शुरू नहीं हुई है (मई 2016)। उपलब्ध धनराशि से वर्ष 2011–16 की अवधि में योजनाओं पर हुये व्यय का विवरण सारणी 3.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.7: निधि की उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर व्यय का विवरण

वर्ष	उपलब्ध निधि (₹ करोड़ में)	संचालित योजनायें		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत श्रमिक	आच्छादित श्रमिक	प्रतिशत	
		संख्या	आवंटन (₹ करोड़ में)				आच्छादित श्रमिक	आंवटन के सापेक्ष निधि का उपयोग
2011-12	384.20	8	64.00	1.41	161687	3837	2.37	2.20
2012-13	735.00	14	197.50	3.95	270871	9610	3.55	2.00
2013-14	1,255.99	16	301.83	93.39	1090192	95295	8.74	30.94
2014-15	1,759.77	19	453.40	105.96	1958544	214121	10.93	23.37
2015-16	2,461.89	19	603.60	141.82	2741452	277909	10.14	23.50
योग			1,620.33	346.53				

(स्रोत: सविव, बी.ओ.सी.डब्ल्यू.) (अनन्तिम आंकड़े)

सारणी से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा निधि की उपलब्धता के सापेक्ष योजनाओं पर मात्र दो प्रतिशत से लेकर 30.94 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया, जो यह दर्शाता है कि एकत्र किये गये उपकर के सापेक्ष योजनाओं पर किया गया व्यय उस स्तर के अनुरूप नहीं किया गया, जिस स्तर पर किया जाना आवश्यक था। जिस उद्देश्य हेतु उपकर का संग्रह किया गया था, राज्य सरकार उस का लाभ लाभार्थियों को पहुंचाने में असफल रही।

3.8 धनराशियों को केन्द्रीय सङ्केत निधि में हस्तान्तरण न किया जाना

वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय सङ्केत निधि से अनुदान के लिए ₹ 300 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया था। इसके सापेक्ष, वर्ष 2015–16 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सङ्केत निधि से ₹ 225.39 करोड़ निर्गत किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, भारत के नियन्त्रक—महालेखा परीक्षक के सलाह पर महालेखा नियन्त्रक के द्वारा निर्गत किये गये संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची में, केन्द्रीय सङ्केत निधि से सम्बन्धित लेखा प्रक्रिया स्पष्ट रूप

में वर्णित है। इसके अनुसार, केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष '1601—केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान' में जमा की जाती है। इन राशियों में से निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु आवंटन की राशि मुख्य शीर्ष "3054 सड़क तथा सेतु" या सम्बन्धित अन्य लेखा शीर्ष में कॉन्ट्रा डेबिट करके मुख्य शीर्ष "8449—अन्य जमा—केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में क्रेडिट की जाती है। इस मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत किये गये ऐसे व्यय, जिसे उक्त आवंटित राशि में से पूरा किया जाना है, का समायोजन उपयुक्त जमा शीर्ष से समतुल्य राशि का अन्तरण करके किया जाता है।

केन्द्र सरकार के द्वारा निर्दिष्ट उक्त वर्णित प्रक्रिया के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा यह बताया गया (जून 2016) कि केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त धनराशि से सड़कों बनती हैं जो राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं। अतः इसके लिए पूंजीगत पक्ष में प्रावधान किया जाता है।

इस प्रकार, उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जमा शीर्ष में इन आवंटनों के अन्तरण के लिए मुख्य शीर्ष 3054 या किसी अन्य उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण लोक लेखे में 'मुख्य शीर्ष 8449—103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान' में कोई राशि अन्तरित नहीं की गई। वर्ष 2015—16 में लोक लेखे में लेखा शीर्ष 8449—103 के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु पर व्यय की कोई राशि लेखांकित नहीं की गई, इसलिए केन्द्रीय सड़क निधि सम्बन्धी कार्यों के लिए निर्गत राशि ₹ 225.39 करोड़ की उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है।

3.9 नकद अवशेष में भिन्नता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये (31.03.2016 को) राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 66.56 करोड़ (निवल डेबिट) के अन्तर का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा ऑकड़ों का मिलान न किया जाना है। इसका मिलान किया जा रहा है।

3.10 वैयक्तिक जमा खाते में निधियों का अन्तरण

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों में निधियों, को अन्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है, जो राज्य के संचित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है। इन वैयक्तिक जमा खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किया जाना एवं अवशेष धनराशि को सरकारी लेखे में वापस किया जाना आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण सारणी 3.8 में दिया गया है।

सारणी 3.8: वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष (01.04.2015)		वर्ष 2015—16 में खोले गये खातों की संख्या		वर्ष 2015—16 में बंद किये गये खातों की संख्या		अन्तिम अवशेष (31.03.2016)	
खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	खातों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
1459	5,868.25	शून्य	2,300.93	03	शून्य	1456	8,169.18

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015—16)

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1456 वैयक्तिक जमा खातों में से 1093 परिचालित और 363 अपरिचालित हैं। अवशेष धनराशि ₹ 98.45 करोड़ के अपरिचालित खाते बन्द किये जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि अपरिचालित खातों को बन्द किये जाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पुनः, राज्य के 79 कोषागारों में से 25 ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया है कि वर्ष 2015–16 के दौरान उनके द्वारा रख-रखाव किये गये 151 वैयक्तिक जमा खातों का मिलान किया गया है। शेष 54 कोषागारों के द्वारा मिलान की स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3.11 लेखाओं पर टिप्पणी

3.11.1 प्राप्तियों का अनियमित प्रतिधारण

राज्य सरकार द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों/सरकारी उपक्रमों एवं निगमों द्वारा शासकीय धनराशि को बैंक में जमा करने के सम्बन्ध में आदेश¹ निर्गत किया गया, जिसमें यह निर्देशित किया गया कि शासकीय धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि सम्बन्धित विभागों की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और उनके द्वारा अर्जित समस्त ब्याज की राशि को कोषागार में जमा किया जाना चाहिए। विभिन्न इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान ये संज्ञान में आया कि कुछ आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया गया। कुछ प्रकरण, जिसमें आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अर्जित ब्याज कोषागार में जमा नहीं किया गया था, का विवरण सारणी 3.9 में दिया गया है:

**सारणी 3.9: आहरण एवं वितरण अधिकारियों की सूची,
जिनके द्वारा कोषागार में ब्याज की राशि जमा नहीं की गयी**

क्र० सं०	स्थानीय निकाय का नाम	ब्याज प्राप्त किया परन्तु कोषागार में जमा नहीं किया गया (₹ लाख में)
1	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (लरा), कानपुर देहात	5.42
2	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत (बीकापुर), फैजाबाद	12.16
3	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हमीरपुर	39.26
4	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रामपुर	122.04
	योग	178.88

(चोत: सम्बन्धित विभाग)

सारणी से प्रदर्शित है कि स्थानीय निकायों द्वारा शासकीय धनराशि पर अर्जित ब्याज (₹ 178.88 लाख) को, शासन के निर्देशानुसार, शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया।

3.11.2 लेखाओं में पारदर्शिता

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को निधियों का अन्तरण

वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा मुख्य लेखा शीर्ष 3475–800–03 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषदों को दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के रूप में प्राप्त की गई निधियों के अन्तरण के लिए ₹ 541 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया एवं वर्ष के दौरान ₹ 541 करोड़ का व्यय किया गया। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी

¹ शासनादेश संख्या-बी-1-564/10-7/97 दिनांक-02-03-1998 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-122/10-2012-10(33)2010 दिनांक-21-03-2012

एकत्र की गयी। इस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जो राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों के लिए धन आहरित व वितरित करेगा। तदनुसार, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान ₹ 541 करोड़ आहरित किया एवं उपरोक्त लेखाशीर्ष के अन्तर्गत व्यय को पुस्तांकित किया।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्तरूपेण राशि का आहरण एवं राज्य के अन्य विकास प्राधिकरणों को वितरण, राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरणों को दिये गए सहायता अनुदान के समतुल्य है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा इसे अपने बजट प्रस्तावों में एवं व्यय के लेखा शीर्ष '3604—पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन' के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है।

3.11.3 लेखे की शुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

सरकार के लेखे नकदी आधार पर रखे जाते हैं। शासकीय लेखे के कुछ लेन-देन जिसकी प्रकृति, सूचना की कमी के कारण या किसी अन्य कारणों से प्राप्ति और भुगतान के अन्तिम शीर्ष में तुरन्त पुस्तांकित नहीं किया जा सकता, उसे प्राप्ति या व्यय के अन्तिम शीर्ष में ले जाने के लिये अस्थायी रूप से उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत पुस्तांकित कर दिया जाता है। सम्बन्धित विवरण/सूचना प्राप्त होने पर इस शीर्ष को समायोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार के लेन देनों के लिए ऋण, जमा और प्रेषण (डी.डी.आर.) शीर्ष लेखे होते हैं जहां सरकार लोक लेखे के संरक्षक के रूप में इस प्रकार की धनराशि को प्राप्त और धारण करती है।

उक्त लेखे के अन्तर्गत अत्यधिक संख्या में लेन-देन, अन्तिम वर्गीकरण हेतु प्रतीक्षित होने के कारण, वर्ष 2015–16 के वित्त लेखे की शुद्धता मानकों द्वारा प्रतिकूल प्रभावित हुई है।

मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, का प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेखे में कुछ मध्यस्थ/समायोज्य लेखा शीर्षों को, जिन्हें उचन्त शीर्ष कहा जाता है, संचालित किया जाता है। इस प्रकार के लेखा शीर्षों को तब अन्तिम रूप से माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट के रूप में समायोजित कर दिया जाता है, जब धनराशियों को सम्बन्धित अन्तिम लेखाशीर्षों में पुस्तांकित कर दिया जाता है। यदि ये धनराशियाँ असमायोजित रहती हैं तो उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का संचय होगा और सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं की शुद्धता परिलक्षित नहीं होगी। मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष, जो राज्य के वित्त लेखे में परिलक्षित है, सारणी 3.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 3.10: उचन्त शीर्षों के अवशेषों की स्थिति (8658)

लघुशीर्ष	2013-14		2014-15		2015-16		(₹ करोड़ में)
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	
101- वेतन और लेखा कार्यालय—उचन्त	(-) 8.75	1.41	3.49	0.24	30.39	12.00	
निवल	क्रे. 10.16		डे. 3.25		डे. 18.39		
102-उचन्त लेखे (सिविल)	24,072.87	24,083.53	(-)6.50	(-) 17.46	50.03	31.53	
निवल	क्रे. 10.66		डे. 10.96		डे. 18.50		
110- रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-) 56.77	(-) 417.63	(-) 0.10	(-) 0.01	14.27	0.00	
निवल	डे. 360.86		क्रे. 0.09		डे. 14.27		

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2015–16)

वित्त लेखे में उचन्त शीर्षों में निवल अवशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। कुल बकाया अवशेषों का बकाया डेबिट और क्रेडिट द्वारा अलग से आगणन किया जाता है। अवशेषों के निहितार्थ इन शीर्षों की नीचे चर्चा की गयी है:

- **वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.एओ.) उचन्त**

ये लघु शीर्ष उन अन्त्विभागीय और अन्त्वशासकीय लेन देन के समायोजन के लिए संचालित किये जाते हैं जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और पी.एओ. की पुस्तकों में प्रदर्शित होते हैं। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन देन या तो प्रभावी वसूलियों को प्रदर्शित करते हैं अथवा एक लेखा अधिकारी द्वारा दूसरे लेखा अधिकारी की ओर से किया गया भुगतान, जिसके सापेक्ष लघु शीर्ष 'पी.एओ. उचन्त' संचालित हैं। जिस लेखा अधिकारी के लेखाओं में प्रारम्भिक वसूली लेखांकित की जाती है उनके द्वारा चेक निर्गत किये जाने के पश्चात इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट को माइनस क्रेडिट द्वारा समायोजित किया जाता है। जिस लेखा अधिकारी के पक्ष में भुगतान किया जाता है उसके चेक की प्राप्ति और पुष्टिकरण होने पर पी.एओ. उचन्त के अन्तर्गत डेबिट अवशेष को माइनस डेबिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित डेबिट अवशेष का तात्पर्य है कि पी.एओ. की ओर से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भुगतान किया जा चुका है, जिसे अभी वसूल किया जाना था। बकाया क्रेडिट अवशेष का तात्पर्य है कि पी.एओ. की ओर से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा चुका है जिसे अभी प्रदत्त किया जाना था। इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 18.39$ करोड़) दर्शाता है कि इसके समायोजन/निस्तारण पर राज्य सरकार का नकद अवशेष बढ़ जायेगा।

- **उचन्त लेखे (सिविल)**

ये अस्थायी लघु शीर्ष ऐसे लेखाओं के लेन देन के लिए संचालित किये जाते हैं जिन्हें कुछ सूचना/अभिलेख जैसे वाउचर, चालान आदि वांछित होने के कारण व्यय या प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष में लेखांकित नहीं किया जा सकता। ये लघु शीर्ष प्राप्ति दर्ज किये जाने पर क्रेडिट किये जाते हैं और व्यय किये जाने पर डेबिट किये जाते हैं। वांछित सूचना/अभिलेख आदि के प्राप्त होने पर लेखाओं से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघुशीर्षों के पर-कॉन्ट्रा डेबिट या क्रेडिट करके लघु शीर्ष को माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा समायोजित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लम्बित डेबिट अवशेष का तात्पर्य है कि वाउचर आदि की अपेक्षा में भुगतान को अन्तिम व्यय शीर्ष में डेबिट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, लम्बित क्रेडिट अवशेष का तात्पर्य है कि विवरण आदि की अपेक्षा में प्राप्तियों को अन्तिम प्राप्ति शीर्ष में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत निवल डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 18.50$ करोड़) में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस मद के समायोजन का रोकड़ अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- **रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय**

ये लघुशीर्ष राज्य सरकार के लेखाओं में केन्द्रीय ऋणों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और व्याज के भुगतान हेतु संचालित किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान व व्याज के भुगतान किये जाने पर इस शीर्ष को डेबिट कर ऋण/व्याज शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत विगत वर्ष का क्रेडिट अवशेष ($\text{₹ } 0.09$ करोड़) कम हो कर डेबिट अवशेष ($\text{₹ } 14.27$ करोड़) हो गया, जो यह दर्शाता है कि उपरोक्त धनराशि के लिये सम्बन्धित वेतन और लेखा अधिकारी कार्यालयों द्वारा उचित समायोजन नहीं किया गया। इस मद के समायोजन से रोकड़ अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

3.12 निष्कर्ष एवं संस्कृतियाँ

निष्कर्ष

- **लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्र**

वर्ष 2015–16 के अन्त तक बड़ी संख्या (399559) में उपभोग प्रमाण-पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त होने शेष थे।

- **विस्तृत आकस्मिक बिल**

कुल मिलाकर 5113 ए.सी. बिल, जिसकी धनराशि $\text{₹ } 301.13$ करोड़ थी, 31 मार्च 2016 तक असमायोजित थे।

- **चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग के प्रकरण**

चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग, के कुल 135 प्रकरण थे, जिनमें $\text{₹ } 882.57$ लाख की धनराशि सन्निहित थी।

- **बहुप्रयोज्य लघु शीर्ष '800' का परिचालन**

लघुशीर्ष '800—अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत लेखांकित अत्यधिक धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता है।

- **मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष**

संचित निधि के कुछ लेखाओं के अन्तर्गत प्रतिकूल अवशेष हैं जिनके समायोजन की उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

- **उपकर के अन्तिम उपयोग**

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. ने आरम्भ से ही अपने लेखे को अन्तिम रूप नहीं दिया है। इसलिए आय एवं व्यय के आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित लेखे के अभाव में लेखापरीक्षा के दौरान व्यय की प्रामाणिकता एवं इसकी वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

संस्कृतियाँ

- अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा दुर्विनियोग, चोरी इत्यादि के प्रकरणों की जाँच में शीघ्रता लायी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों को पुनर्धर्मित होने से रोकने के लिए आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।
- सरकार द्वारा लघुशीर्ष—800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।
- लेखा वर्ष के अन्दर ही लेन—देनों को अन्तिम लेखाशीर्ष में पुस्तांकित किये जाने हेतु उचन्त शीर्षों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा अपने लेखे का रख—रखाव किया जाना चाहिये एवं बोर्ड की यथार्थ एवं स्पष्ट वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करने के लिये वार्षिक लेखे तैयार किये जाने चाहिये।

(पी० के० कटारिया)

इलाहाबाद
दिनांक

प्रधान महालेखाकार (जी० एण्ड एस०एस०ए०)
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)

नई दिल्ली
दिनांक

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

